### PART-I

## HARYANA GOVERNMENT

#### LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

#### Notification

The 29th March, 2017

No. Leg.6/2017.— The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 23rd March, 2017 and is hereby published for general information:-

#### HARYANA ACT NO. 6 OF 2017

# THE HARYANA AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2017

AN

ACT

to provide for, as a good governance, efficient, transparent and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred entirely from the Consolidated Fund of State, to individuals residing in the State of Haryana using Aadhaar number as sole proof of establishing identity of an individual and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

- 1. (1) This Act may be called the Haryana Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2017.
  - It extends to the whole of the State of Haryana.

Short title, extent and commencement.

- (3) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the commencement of that provision.
- 2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

Definitions.

- (a) "agency of Government" means any authority or body established or constituted by any Central or State law in the State of Haryana including the local bodies and any other body owned and controlled by the Government and includes the bodies whose composition and administration are predominantly controlled by the Government;
- (b) "benefit" means any advantage, gift, reward, relief or payment, in cash or kind, provided to an individual or group of individuals and includes such other benefits, as may be notified by the Government, from time to time;
- (c) "Central Act" means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Central Act 18 of 2016);
- (d) "Consolidated Fund" means the Consolidated Fund of the State of Haryana;
- (e) "Government" means the Government of the State of Haryana;
- (f) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (g) "service" means any provision, facility, utility or any other assistance provided in any form to an individual or group of individuals and includes such other services, as may be notified by Government, from time to time;
- (h) "subsidy" means any form of aid, support, grant, subvention or appropriation, in cash or kind, to an individual or group of individuals and includes such other subsidies, as may be notified by the Government, from time to time.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined and defined in the Central Act shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Central Act.

Proof of Aadhaar number necessary for receipt of certain subsidies, benefits and services, etc. 3. The Government or the an agency of the Government may, for the purpose of establishing identity of an individual as a condition for receipt of a subsidy, benefit or service for which the expenditure is incurred by way of withdrawal from or the receipt therefrom forms part of the Consolidated Fund or any fund set up by an agency of Government, require that such individual undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, such individual shall make an application for enrolment:

Provided that until Aadhaar number is assigned to an individual, the individual may be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service.

Notification of schemes.

4. The Government shall, within a period of three months from the date of commencement of this Act and thereafter, from time to time, notify the list of schemes, subsidies, benefit or services for which Aadhaar number shall be an authenticated proof of identification of an individual.

Protection of action taken in good faith. 5. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any officer or other employees of the Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.

Power to make rules.

- (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.
- (2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature.

Power to remove difficulty.

7. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that, no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may, after it is made, before the State Legislature.

KULDIP JAIN, Secretary to Government Haryana, Law and Legislative Department.

#### भाग - 1

## हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 20 जन, 2017

संख्या लैज. 6/2017 - दि हरियाणा आधार (टारगैटिड डिलिवॅरि आफ फाइनैनसिअल एण्ड अदर सबिसडिज बेनिफिटस एण्ड सर्विसज) ऐक्ट, 2017, का निम्निलिखेत हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 13 जून, 2017, की स्वीकृति के अधीन एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 6

हरियाणा आघार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविघाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2017 हरियाणा राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों की पहचान सिद्ध करने के एकमात्र सबूत के रूप में आधार संख्या का प्रयोग करते हुए सुशासन के रूप में दक्ष, पारदर्शी और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के लक्ष्यित परिदान हेत्. जिसके लिए व्यय पूर्णतः राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाता है तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेत् अधिनियम

भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

यह अधिनियम हरियाणा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं संक्षिप्त नाम, विस्तार का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।

और प्रारम्भ।

- इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है।
- यह ऐसी तिथि को लाग होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसचना द्वारा, नियत करें: और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तिथियां नियत की जा सकती हैं और इस अधिनियम के प्रारम्भ से किसी ऐसे उपबन्ध में किसी निर्देश का अर्थ उस उपबन्ध के प्रारम्भ से निर्देश के रूप में लगाया जाएगा।
- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-(1)

परिभाषाएं।

- (क) "सरकारी एजेंसी" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा स्वामीत्वाधीन तथा नियंत्रित स्थानीय निकायों और किसी अन्य निकाय सहित हरियाणा राज्य में किसी केन्द्रीय या राज्य विधि द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय और इसमें ऐसे निकाय भी शामिल हैं जिनकी संरचना और प्रशासन मुख्य रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित हैं ;
- (ख) "प्रसुविधा" से अभिप्राय है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, नकद या वस्तु के रूप में, दिया गया कोई फायदा, दान, इनाम, राहत या भूगतान और इसमें ऐसी अन्य प्रस्विधाएं भी शामिल हैं, जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित की
- (ग) "केन्द्रीय अधिनियम" से अभिप्राय है, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 18) ;
- (घ) "संचित निधि" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की संचित निधि ;
- (ङ) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;

- (च) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित
- (छ) "सेवा" से अभिप्राय है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी रूप में दी गई कोई व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता और इसमें ऐसी अन्य सेवाएं भी शामिल हैं, जो सरकार द्वारा, समय—समय पर, अधिसूचित की जाएं;
- (ज) "सहायिकी" से अभिप्राय है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, नकद या वस्तु के रूप में, दी गई कोई सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग और इसमें ऐसी अन्य सहायिकियां भी शामिल हैं, जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसचित की जाएं।
- (2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और केन्द्रीय अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें कमशः केन्द्रीय अधिनियम में दिए गए हैं।

कतिपय सहायिकियाँ, प्रसुविधाओं और सेवाओं इत्यादि की प्राप्ति के लिए आवश्यक आधार संख्या का सबूत। 3. सरकार या सरकारी एजेंसी, किसी सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा, जिसके लिए व्यय संचित निधि या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा स्थापित किसी निधि के भाग रूप में से निकासी या प्राप्ति के रूप में उपगत किया जाता है, की प्राप्ति के लिए किसी शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकती है कि ऐसे व्यक्ति का अधिप्रमाणन कराया जाए या आधार संख्या धारण करने का सबूत दे या ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसको कोई भी आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, तो ऐसा व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन करेगा:

परन्तु जब तक किसी व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, तब तक व्यक्ति को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य पहचान का साधन प्रस्थापित किया जा सकता है।

रकीमों की अधिसूचना 4. सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन मास की अविध के भीतर और उसके बाद, समय—समय पर, स्कीमों, सहायिकियों, प्रसुविधा या सेवाओं, जिनके लिए आधार संख्या किसी व्यक्ति की पहचान का अधिप्रमाणित सबूत होगी, की सूची अधिसूचित करेगी।

सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। 5. किसी बात, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

- 6. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाई दूर करने की शक्ति। 7. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध बना सकती है, जो कठिनाई दर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

> कुलदीप जैन, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

[Authorised English Translation]

## HARYANA GOVERNMENT

## ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

## Notification

The 2nd August, 2017

No. S.O. 56/H.A. 6/2017/S. 1/2017.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Haryana, Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2017, (6 of 2017), the Governor of Haryana hereby appoints the 1st day of April, 2017, to be the date for the purposes of said sub-section.

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Electronics and Information Technology Department.

55545-L.R.-H.G.P., Chd.

## भाग -III

## हरियाणा सरकार

इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

# अधिसूचना

दिनांक 2 अगस्त, 2017

संख्या का०आ० 56/ह०अ० 6/2017/घा० 1/2017 — हरियाणा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2017 (2017 का 6) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, प्रथम अप्रैल, 2017 को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए तिथि के रूप में नियत करते हैं।

देवेन्द्र सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।